31.08.2020 अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से अधतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

31.08.2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

08.09.2020 अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा घरमुडीह थाना सं0 520 गैरमजरूवा खाता सं0 87 के अन्तर्गत खेसरा सं0 1292 खतियानी रकवा 41–12–18 धूर किस्म परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। इसी मौजा के पंजी 2 अवलोकन से पाया कि उक्त खेसरा सं0 1292 के अंदर अंश रकवा 03–00–00 धूर अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के केश नं0 153/71–72 से श्री राधे श्याम मारवाड़ी सा0 गोड्डा टाउन के नाम से खाता सं0 87मी0 में दर्ज है। साथ ही "भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक 361/भू0सु0 दिनांक 05.11.2018 से सूचित किया गया है कि बंदोबस्ती रद्द केश सं0 05/2018 से राधेश्याम मारवाडी के नाम से बंदोबस्ती को रद्द किया गया है " अंकित है

स्थलीय जांच में पाया कि उक्त भूमि पर बंदोबस्तदार/बंशज का बंदोबस्ती की तिथि से आज तक जोत–कोड़ नही है। विदित होकि उसी खेसरा की भूमि पर वर्त्तमान में नया समाहरणंलय भवन निर्माणाधीन है।

अतः मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 04–स0भू0–(दिशा निर्देश) 95/2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची दिनांक 13.05.2016 के आलोक में संधारित अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी वाद–1002/2016–17 को राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन एवं पंजी अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती को ही रद्द कर दी गई है। अतः अभिलेख की कार्यवाही को संचित किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

8.9.2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।